रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अम्बेडकर)

l fo/kku

भाग–I

अनुच्छेद–1

1) यह संविधान **"रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अम्बेडकर)"** का संविधान कहलायेगा जो इसके बाद पार्टी के रूप में संदर्भित होगा।

2) **कार्यक्षेत्र** – यह संविधान भारत में लागू होना।

उद्देश्य

अनुच्छेद–2

प्रस्तावना में बताए गये लक्ष्यों और उद्देश्यों न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा को प्राप्त करना ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अम्बेडकर) के लक्ष्य और उद्देश्य होंगे।

1. सामाजिक आर्थिक रूप से उत्पीड़ित, दलित, भूमिहीन मजदूर, छोटे किसान, श्रम साध्य वर्ग और आदिवासियों को संगठित करना।
2. सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समस्याओं हेतु आंदोलन करना और उन्हें जड़ से निकालना।
3. अवसरों की समानता सुनिश्चित करना।
4. शैक्षणिक गतिविधियाँ करना।
5. भारतीय समाज के दलित वर्ग पर उत्पीड़न और अत्याचार के मामलों के विरूद्ध अनुवर्ती कारवाई करना।
6. यह प्रत्येक भारतीय की धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता का समर्थन उसी सीमा तक करेगी जहाँ तक वह दूसरे भारतीयों लिए बाधक न हो।
7. यह प्रत्येक भारतीय के अवसर की समानता के अधिकार को बनाए रखेगी। इसके उन भारतीयों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा जिनके पास पहले कुछ नहीं था, बशर्ते की ऐसे भारतीयों पर जिनके पास सबकुछ, उनसे प्राथमिकता दी जाएगी।
8. यह पार्टी प्रत्येक भारतीय को बंधक, अभाव और डर से मुक्त रखने के अपने उद्देश्य जायज रखेंगी।
9. यह स्वतंत्रता, समानता और भाइचारे को बनाए रखने पर दबाब डालेंगी और जाति, वर्ग, पंथ, लिंग भाषा, धर्म और राज्य पर आधारित शोषण और उत्पीड़न से छुटकारा दिलाने हेतु प्रयासरत रहेंगी।
10. पार्टी शासन की संसदीय प्रणाली का सर्मथन करेगी। क्यों की यह सर्वोत्तम शासन–प्रणाली होने के कारण जनता और व्यक्ति दोनों के लिए हितकारी है।
11. सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समस्याओं के निराकरण हेतु बाबसाहब अम्बेडकर के आदर्शो के अनुसार यह पार्टी काम करेगी।
12. पार्टी अपने आदर्शों के प्रसार–प्रचार हेतु प्रिंटिंग प्रेस बनाएगी और साहित्य जारी करेगी।
13. उक्त लक्ष्यों और उद्देश्यों में से किसी को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के आकस्मिक अथवा सहायक कानून अनुसार कार्य करेगी।

पार्टी के अधिकार

आवश्यकता अनुसार

1. समय-समय पर निर्धारित की गई संपत्ति का क्रय, उसे लीज पर लेना अथवा प्राप्त करना और निवेश करना और पार्टी को धन के साथ इस हेतु लेन देन करना।
2. पार्टी के उद्देश्य हेतु घरों, भवनों को निर्मित करना, रख रखाव करना, पुनर्निर्मित करना, मरम्मत करना, बदलना, दूसरे स्थान पर बनाना अथवा पुनः स्थापित करना, किराए पर लेना।
3. पार्टी किसी एक अथवा सभी संपत्तियों का विक्रय, निपटान, सुधार, रख-रखाव विकास, विनिमय, लीज, बंधक अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरण करना अथवा लेन-देन करना।
4. पार्टी के उक्त प्रस्तावित किसी भी लक्ष्य और उद्देश्य का निर्वाह करने हेतु जमानत सहित अथवा रहित उसके लिए धन जुटाना।

संगठन-स्थानीय

भाग-II

अनुच्छेद-3

1. पार्टी का संगठन इस प्रकार होगा :-
   1) ग्राम समिति अथवा नगर समिति
   2) तहसील / ब्लाक समिति
   3) जिला समिति
   4) राज्य समिति

अनुच्छेद-4 : सदस्यता

1) इसमें सदस्यता की दो श्रेणियाँ होंगी
   अ) प्राथमिक सदस्य
   ब) सक्रीय सदस्य

2) I) ऐसे से कोई भी व्यक्ति को, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त की है और संविधान को स्वीकार करता है और वार्षिक अंशदान रुपये 10/- का भुगतान करता है और इसके अतिरिक्त वह किसी अन्य राजनैतिक अथवा सामाजिक संगठन का सदस्य नहीं है जिसका उद्देश्य एवं लक्ष्य पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित नहीं है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अम्बेडकर) का प्राथमिक सदस्य है, पार्टी की किसी भी समिति के चुनाव में नियमों द्वारा प्रदत्त मतदान का अधिकार होगा।

   II) कोई भी व्यक्ति उसके स्थाई निवास या कार्यस्थल के अतिरिक्त, प्राथमिक सदस्य नहीं बनेगा।

   III) प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता का वर्ष 1 **जनवरी से 31 दिसम्बर** होगा।

3) I) 21वर्ष या अधिक आयु वाला कोई भी व्यक्ति जो एक वर्ष तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य हो, लिखित घोषणा करने पर और 50/- रुपये का वार्षिक अंशदान करने पर पार्टी का सक्रिय सदस्य बन सकेगा।

   II) प्रत्येक सक्रिय सदस्य प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 25 प्राथमिक सदस्य बनाएगा तथा **रुपये** 250/- की न्यूनतम राशि एकत्रित कर उसे पार्टी में जमा करेगा।

   III) प्रत्येक सक्रिय सदस्य पार्टी द्वारा मान्यता प्राप्त सार्वजनिक कार्यों में भागीदार होगा।

4) कोई भी सक्रिय सदस्य तब तक मतदान हेतु और पार्टी के चुनाव हेतु पात्र होगा जब तक व इस संबंध में पार्टी के प्राधिकारी द्वारा अथवा उसके अधिन किसी नियम के अन्तर्गत अपात्र न हो।

अनुच्छेद–5

1) पार्टी की प्राथमिक इकाई इसकी ग्राम अथवा नगर समिति होगी।
2) ग्राम और नगर समिति में 5 से 9 सदस्य होंगे और वे अपनी नगर समिति को प्रमुख का चुनाव करेंगे।
3) सभी ग्राम समितियों के सदस्यों से जिले की तहसील समिति की कार्यकारिणी बनेगी और अपने प्रमुख का चुनाव करेगी। अन्य कार्यालय पदाधिकारी जिला प्रमुख की सलाह से नामित होंगे।
4) सभी तहसील के सदस्यों से जिला कार्यकारिणी बनेगी और प्रमुख का चुनाव करेगी और राज्य समिति प्रमुख की सलाह से अन्य कार्यलय पदाधिकारी नामित होंगे।
5) ग्राम, नगर, तहसील और जिला समितियों में क्रमशः एक प्रमुख एक उपप्रमुख, एक सचिव एक संयुक्त सचिव, एक खजांची और 9 सदस्य होंगे। नगर, तहसील और नगर समिति के सभी कार्यकारिणी सदस्य जिला समिति के सदस्य होंगे।
6) सभी जिला कार्यकारिणी समितियों के सदस्यों से राज्य कार्यकारिणी बनेगी जो महासचिव को छोड़कर प्रमुख, कार्यालय पदाधिकारी और सदस्यों का चुनाव करेगी। महासचिव को अध्यक्ष नामांकित करेगा।
7) एक अध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक संगठन सचिव, चार सचित, एक खजांची के साथ राज्य समिति बनेगी। जिला समितियों के सभी प्रमुख और सचिव, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्य राज्य कार्यकारिणी सदस्य होंगे।
8) पार्टी के राज्य विधानसभा और संसद के सदस्य जिला और राज्य कार्यकारिणी सदस्य होंगे।
9) राज्य समिति के अनुमोदन से ग्राम, नगर, जिला के सचिव को हटाया जा सकता है।
10) राज्य समिति के अनुमोदन से राज्य महासचिव को हटाया जा सकता है।
11) सहयोजनः राज्य, नगर, तहसील, जिला कार्यकारिणी समितियों में पांच सदस्य तक का सहयोजन कर सकती है।
12) विभिन्न कार्यकारिणी समितियों के सदस्यों की संख्या का निर्णय संविधान के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार होगा।
13) कार्यकारिणी समिति की सामान्य परिषद और उसके पदाधिकारियों की अवधि तीन वर्ष होगी।

अनुच्छेद–6

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अम्बेडकर) की सेन्ट्रल कमेटी निम्नानुसार होगी :–

1. पार्टी अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष (छहः से ज्यादा नहीं)
3. एक जनरल सेक्रेटरी
4. एक संगठन सेक्रेटरी
5. सेक्रेटरी (आठ से ज्यादा नहीं)
6. एक कोषाध्यक्ष
7. पार्टी की महासभा / सामान्य परिषद
8. पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारिणी

अनुच्छेद–7

1. I) केन्द्र की सामान्य परिषद में राज्यों के सभी कार्यकारिणी के सदस्य होंगे।
   II) केन्द्रीय सामान्य परिषद के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं महाचिव का चुनाव कराया जायेगा।
   III) केन्द्रीय सदस्यों का नामांकन अध्यक्ष एवं महासचिव द्वारा किया जायेगा।
   IV) केन्द्रीय कार्यकारिणी के 50 प्रतिशत सदस्यों को अध्यक्ष या जनरल सेक्रेटरी द्वारा नामित किया जायेगा। उसमें प्रत्येक राज्य से कम से कम सदस्य रहेंगे।
   V) पार्टी के मंत्री और संसद सदस्य और केन्द्रीय कार्यकारिणी में पदेन सदस्य रहेंगे।
   VI) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
   VII) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति 7 से अधिक सदस्यों का सहयोजन नहीं कर सकेगा।
   VIII) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के जब कभी भी आवश्यता होगी अथवा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की संयुक्त मांग होने पर, अथवा उसके कुल सदस्यों के

पांचवें भाग की संख्या के सदस्यों की संयुक्त आवश्यकता होने पर पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जायेगी। ऐसी मांग का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए मांग प्राप्त होने के दो माह के अन्दर मांग बैठक आयोजित की जाए। किसी भी मांग बैठक में केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा व्यवसाय / कार्य की अतिरिक्त मुद्दे शामिल किए जा सकते है।

IX) कोरम–केंद्रीय महासभा की बैठक हेतु 100 सदस्यों की उपस्थिति पर्याप्त होगी। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक के कोरम के लिए एक तिहाई 1/3 उपस्थिति पर्याप्त होगी।

अनुच्छेद–8

1) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की केन्द्रीय महा–समिति द्वारा समय, उद्देश्य और स्थान संबंधी निर्णय के अनुसार 2 वर्ष में एक बार पार्टी के महासभा का आयोजन किया जाए।

2) **पार्टी के महासभा में निम्नलिखित सदस्य होंगेः**
   I) पार्टी का अध्यक्ष
   II) पार्टी का महासचिव
   III) महासभा के सदस्य
   IV) राज्य, जिला की महासभा के सदस्य

3) I) प्रथमतः केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनाई जाने वाली अनुशंसाओं हेतु संकल्पों पर महासभा विचार करेगा।
   II) उसके बाद सत्र में शेष प्रस्तावों को लिया जाएगा जिसके लिये सत्र के 15 दिन का नोटिस 40 प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया हो, बशर्ते कि ऐसे किसी भी सत्र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में चर्चा न हुई हो और समिति में इस हेतु कम से कम 1/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ हो।

4) पार्टी के जिस कार्यक्षेत्र में सत्र का आयोजन किया जाएगा, उस कार्यक्षेत्र की राज्य कार्यकारिणी समिति सत्र का आयोजन करेगी। इस हेतु वह अपने मार्गदर्शन में ऐसी व्यवस्था कर सकती है तथा पार्टी से भिन्न लोगों से यह व्यवस्था करवा सकती है।

5) स्वागत समिति अपने सदस्यों में से अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव करेगी।

6) स्वागत समिति की प्राप्तियों और विवर्जन की लेखा परीक्षा संबंधित समिति के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त लेखा परिक्षक द्वारा की जाएगी और खातों के विवाद तथा लेखा–परीक्षा रिपोर्ट कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करेगी। यह रिपोर्ट सत्र समाप्ति के 6 माह के अन्दर प्रस्तुत की जाएगी। अधिशेष निधि को पार्टी कार्यालय के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार विभाजित किया जाएगा।

अनुच्छेद–9

पार्टी का विशेष सत्र का आयोजन महाकार्यकारिणी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के तहत् किया जाएगा अथवा राज्य कार्यकारिणी समिति के 1/3 सदस्य अपने प्रस्ताव द्वारा निर्णय लेकर अध्यक्ष / प्रमुख से ऐसे विशेष सत्र के आयोजन का अनुरोध कर सकती है।

अनुच्छेद–10

1) महासभा के सदस्यों में से केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति प्रमुख / अध्यक्ष एवं महासचिव के चुनाव के कार्य के लिए रिटर्निंग अधिकारी के अन्तर्गत कार्य करने हेतु एक सदस्य को नियुक्त करेगी बशर्ते कि ऐसी नियुक्ति हेतु वह सदस्य अपात्र होगा जो अध्यक्ष / महासचिव पद हेतु प्रत्याशी हो।

2) केन्द्रीय कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य पार्टी के अध्यक्ष / महासचिव के चुनाव के लिए किसी भी सदस्य को प्रस्तावित कर सकता है। यह प्रस्ताव सदस्य द्वारा अनुशंसित होना चाहिए।

3) अध्यक्ष / महासचिव का चुनाव के अन्तर्गत दी गई विधि के अनुसार किया जाए।

अनुच्छेद–11

1) अपने चुनाव के बाद अध्यक्ष पार्टी के सत्र की अध्यक्षता करेगा और यह अध्यक्षता अपने कार्यकाल में और केन्द्रीय कार्यकारिणी और केन्द्रीय महासभा की बैठकों में भी करेगा।
2) सत्र न होने की स्थिति में अध्यक्ष या महासचिव केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी अधिकारों का उपयोग करेगा।

अनुच्छेद–12

1) पार्टी के महासचिव पार्टी कार्यालय का प्रभारी होगा।
2) पार्टी के महासचिव पार्टी की निधियों का प्रभारी होगा, हालांकि खजांची सभी खातों का अथवा सभी निवेशों, आय एवं व्यय का उचित रखरखाव करेगा।
3) I) महासचिव और संगठन सचिव निम्नलिखित रिपोर्ट के तैयार करने और उनकी कार्यवाही की रिपोर्ट का प्रकाशन करने हेतु उत्तरदायी होंगे :–
   II) पार्टी का सत्र
   III) केन्द्रीय महासभा और
   IV) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति
4) **महासचिव खातों की लेखा–परीक्षा के विवरण की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा।**

अनुच्छेद–13

1) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति पार्टी का उच्चतम कार्यकारी प्राधिकरण होगा और उस पार्टी और उसकी केन्द्रीय महापरिषद् द्वारा बनाई गई नीतियों और कार्यक्रम को प्रभावी बनाने का अधिकार होगा।

   यह संविधान के प्रावधानों की अंर्तगत व्यवस्था और कार्यान्वय तथा बनाए गए निम्नलिखित नियमों संबधी सभी प्रकार के मामलों में अंतिम प्राधिकार होगा।

2) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गतिविधियों की कार्यसूची तैयार करेगी और उसे केन्द्रीय महासभा परिषद् के समक्ष रखेगी। गैर अधिकारिक प्रस्तावों हेतु समय निर्धारित करेगी जिसके लिए विनिर्धारित नियमों के अनुसार केन्द्रीय महापरिषद के सदस्य निय सूचना देंगे।

3) सभी कार्यालयों, खातों और अभिलेखों को देखने हेतु लेखा परीक्षकों, निरीक्षकों अथवा अन्य अधिकारियों को सभी अपेक्षित जानकारी देने हेतु पार्टी की सभी समितियों और उसके संगठनों का अभिलेख, दस्तावेज और खाता–बहियों की जांच करने हेतु केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति एक या एक से अधिक लेखा परीक्षकों अथवा निरीक्षकों या अन्य अधिकारियों के नियुक्त कर सकती है।

4) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के अधिकार निम्नलिखित होंगे :

1) संगठन की उचित शब्दावली संबंधी नियम तैयार करना और अनुशासन बनाए रखने और सदस्यों का मताधिकार समाप्त करना और उन्हें मताधिकार प्रदान करना।
2) स्थापित समितियों और अधीनस्थ समितियों के साथ स्वागत समितियों का पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण करना।
3) अखिल भारत के अध्यक्ष को छोड़कर किसी समिति अथवा किसी समिति के किसी भी सदस्य के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाई करना जिसके विरूद्ध ऐसा करना उचित हो।
4) किसी भी विशेष स्थिति में केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति को पार्टी के हित में ऐसी कार्यवाही करने के अधिकार होंगे, जिनमें उसे ऐसा करना उचित प्रतीत हो, किंतु इस संविधान में दिए गए अधिकारों के आगे यदि कोई कार्यवाही की गई हो तो पार्टी के अनुमोदन के लिए उसे यथाशीघ्र केन्द्रीय महासभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

5) कठिनाई की विशेष परिस्थिति में केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति को संविधान के प्रावधानों के प्रवर्तन में ढील देने का अधिकार है। इसके लिये उसे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है।
6) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय महासभा के खाते रखेगी।
7) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति संविधान अथवा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के नियमों से असहमत नियमों को बनाएगी, किंतु इसका अनुमोदन केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

अनुच्छेद–14

1) पार्टी के केन्द्रीय संगठन के पक्ष में पार्टी की समस्त प्राप्त राशि पार्टी के नाम से बैंक में खाते के अंतर्गत रखी जाएगी और ऐसा खाता (i) अध्यक्ष (ii) महासचिव (iii) खजांची में से कोई दो पदाधिकारियों द्वारा परिचालित होगा।
2) केन्द्रीय संगठन के अतिरिक्त पार्टी हेतु विभिन्न चंदों से प्राप्त धनराशि बैंक में पार्टी के नाम से खुले खातों में रखी जाएगी और ऐसा खाता निम्नलिखित में से कोई भी दो पदाधिकारी द्वारा परिचालित होगा– (i) अध्यक्ष (ii) महासचिव (iii) खजांची
3) विभिन्न स्तरों पर पार्टी के नाम पर एकत्रित राशि निम्नानुसार परिचालित होगीः
   (i) धन एकत्र करने वाली समिति एकत्रित धन की 50 प्रतिशत राशि अपने पास रखेगी।
   (ii) शेष 50 प्रतिशत धन केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के अनुसार विभिन्न स्तरों की उच्चतर प्राधिकार समिति के बीच वितरित होगा।

अनुच्छेद–15

(i) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के नियंत्रण और उच्च पर्यवेक्षक के अधीन राज्य कार्यकारिणी समिति अपने कार्यक्षेत्र की गतिविधियों की प्रभारी होगी और संगठन की उचित शब्दावली, अनुशासन और सदस्यों का मताधिकार वापिस लेने और मताधिकार प्रदान करने संबंधी नियम बनाएगी।
(ii) राज्य में पार्टी के स्थानीय संगठन द्वारा किए गए कार्य की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें उसकी लेखा परीक्षित तुलना–पत्र शामिल होगा जो अध्यक्ष द्वारा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
(iii) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के निर्देशों के अनुसार राज्य कार्यकारिणी समिति के असफल होने पर केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वर्तमान समिति को विघटित कर सकती है और पार्टी का कार्य चलाने हेतु तदर्थ समिति बना सकती है।
(iv) ग्राम समिति, तालुका समिति का यह दायित्व होगा कि वह जिला प्रमुख / अध्यक्ष को खाते का वार्षिक विवरण प्रेषित करे।
(v) जिला कार्यकारिणी समिति का प्रमुख राज्य कार्यकारिणी समिति के प्रमुख को खातों का वार्षिक विवरण भेजेगा।

अनुच्छेद–16

(i) इस संविधान के अन्तर्गत बनी किसी समिति या बोर्ड या न्यायाधिकरण के सदस्य का कार्यालय इस संविधान के अनुछेद XXV के अंतर्गत त्याग पत्र, विघटन अथवा बर्खास्तगी द्वारा खाली करवाया जाएगा।
(ii) सभी रिक्तियाँ उसी प्रकार भरी जाएगी जिस प्रकार छोड़कर जाने वाले सदस्यों का चुनाव हुआ था और इस इस प्रकार चुने हुए सदस्य रिक्त पद के शेष कार्यकाल तक कार्यालय का कार्य प्रभार लेगे।
(iii) इसके विपरीत प्रावधान की अनुपस्थिति में समिति, बोर्ड या न्यायाधिकरण के उचित प्रकार से बन जाने के बाद वह किसी रिक्त के कारण अवैध नहीं होगा।

अनुच्छेद–17

(i) प्रत्येक राज्य हेतु चुनाव न्यायाधिकरण होगा।

(ii) अपनी पहली सभा में राज्य कार्यकारिणी समिति राज्य चुनाव न्यायाधिकरण का चुनाव करेंगी जिसमें कम से कम पांच और अधिक से अधिक सात सदस्य होंगे।

(iii) राज्य न्यायाधिकरण का कार्यकाल तीन वर्ष होगा किंतु किसी भी स्थिति में नया न्यायाधिकरण नियुक्त होते तक उसका कार्य जारी रहेगा।

(iv) चुनाव न्यायाधिकरण का सदस्य, जिसका वह सदस्य है पार्टी में चयनित कार्यालय या पार्टी के किसी चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़ा नहीं होगा।

(v) चुनाव न्यायाधिकरण की गतिविधियों के आचरण हेतु केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति नियम बनाएगी।

राज्य चुनाव न्यायाधिकरण गतिविधियों हेतु केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा बनाए गए नियमों के विरूद्ध नियम भी बनाएगी।

अनुच्छेद–18

(i) कोई भी प्रत्याशी अपने कार्यक्षेत्र में शिकायत दर्ज कर सकता है, कार्यक्षेत्र के किसी चुनाव के संदर्भ में बने नियमों के अधीनस्थ चुनाव के परिणामों के घोषित होने के 15 दिनों के अंदर कोई भी प्रत्याशी अपने कार्यक्षेत्र के राज्य न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज कर सकता है। राज्य चुनाव न्यायाधिकरण शिकायत के बारे में निर्णय लेगा और यथशीघ्र संबंधित पार्टियों को निर्णय से अवगत कराएगा।

(ii) जब तक चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा चुनाव प्रक्रिया अवैध घोषित नहीं हो जाती तब तक चयनित व्यक्ति विधिवत चयनित माना जाएगा।

(iii) राज्य चुनाव न्यायाधिकरण अपने प्रस्ताव अथवा राज्य कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव अथवा संबंधित पार्टी के प्रस्ताव के द्वारा किसी चुनाव के सम्बन्ध में, रजिस्टर के रख–रखाव और सदस्य की कार्य भूमिका के संबंध में, झूठी शिकायत दर्ज करने अथवा उसे झूठा होने पर आपत्ति होने पर सामान्य कार्यों में धन के दुरुपयोग के संबंध में प्रत्याशी को चुनाव में खड़े होने, पार्टी से निकालने के लिए अपात्र कर सकती है। इसकी अवधि वह समिति निर्धारित करेगी।

(iv) किंतु धोखाधड़ी पूर्व चुनाव की सूचना मिलने पर संबंधित राज्य कार्यकारिणी समिति उसकी जाँच करवा सकती है और आवश्यक कार्यवाही कर सकती है।

अनुच्छेद–19

(i) राज्य कार्यकारिणी समिति रिटर्निंग अधिकारी का चुनाव कर सकती है।

(ii) रिटर्निंग अधिकारी 3 वर्ष हेतु कार्यालय संभालेगा और राज्य में पार्टी के सभी घटकों का चुनाव करवाएगा। वह राज्य कार्यकारिणी समिति और जिला समिति के अन्य अधिकारियों जिला रिटर्निंग अधिकारी और अन्य अधिकारियों को नियुक्त करेगा ताकि राज्य कार्यकारिणी समिति में उचित ढंग से चुनाव हो सके। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा उसे आवंटित कार्यक्रम भी विशुद्ध रूप से आयोजित करेगा।

अनुच्छेद–20

(i) इस संविधान के अंतर्गत बनी किसी समिति या बोर्ड या न्यायाधिकरण के सदस्य का कार्यालय इस संविधान के अनुच्छेद XXV के अंतर्गत त्याग–पत्र, विघटन अथवा बर्खास्तगी द्वारा खाली करवाया जाएगा।

(ii) सभी रिक्तियाँ उसी प्रकार भरी जाएगी जिस प्रकार छोड़कर जाने वाले सदस्यों का चुनाव हुआ था और इस प्रकार चुने हुए सदस्य रिक्त पद के शेष कार्यकाल तक कार्यालय का प्रभार लेगा।

(iii) इसके विपरीत प्रावधान की अनुपस्थिति में समिति, बोर्ड या न्यायाधिकरण के उचित प्रकार से बन जाने के बाद वह किसी के कारण अवैध नहीं होगा।

अनुच्छेद–21

उम्मीदवारों का चयन

(i) प्रत्याशी चयन केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति एक बोर्ड का निर्माण करेगा जिसमें अध्यक्ष/ महासचिव और 6 अन्य सदस्य होंगे तथा चेयरमैन के रूप में अध्यक्ष होंगे, ताकि वे संसद सदस्य और विधानसभा सदस्यों के चुनाव हेतु प्रत्याशियों का चुनाव कर सके।

(ii) चुनाव बोर्ड प्रस्तावित नामों हेतु पार्टी की स्थानीय समितियों को आमंत्रित करेगा और उसके द्वारा प्राप्त समर्थन के आधार पर प्रत्याशियों की सूची तैयार करेगा।

(iii) चयन करते समय बोर्ड प्रत्याशियों को प्राप्त समर्थन का आदर करेगा किंतु वह प्रथम का चयन करने हेतु बाध्य नहीं है। राज्य चुनाव बोर्ड केन्द्रीय और राज्य विधानमंडलों के प्रत्याशियों हेतु केन्द्रीय चुनाव बोर्ड को अनुशंसा देना।

(iv) राज्य कार्यकारिणी समिति जिसमें प्रत्याशियों का चुनाव स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु चुनाव बोर्ड का निर्माण करेगी और बोर्ड हेतु नियम बनायेंगी।

(v) प्रत्याशियों के चयन के पश्चात 'ए' एवं 'बी' फार्म महासचिव के हस्ताक्षर से जारी होगा।

अनुच्छेद–22

विविध

(i) केन्द्रीय महासभा की अनुशंसाओं पर संविधान की किसी भी भाग को संशोधित परिवर्तित समाप्त या संबंधित किया जा सकता है। यह कार्य पार्टी सम्मेलन में उपस्थित के बहुमत और मतदान द्वारा किया जा सकता है।

(ii) विशेष परिस्थितियों में और आपातकाल में केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति को संविधान के किसी भी भाग की और ध्यान देने, परिवर्तन करने, समाप्त करने, सम्बद्ध करने का अधिकार है और ऐसे संशोधित, परिवर्तित, समाप्त या संबंधित भाग को पार्टी के अगले सम्मेलन में अनुमोदित किया जाएगा।

अनुच्छेद–23

अनुशासन सम्बन्धी नियम

(i) यदि पार्टी का कोई सदस्य निम्नलिखित में से कोई कार्य करता है तो उसे अनुशासनहीनता का दोषी माना जायेगा।

i) पार्टी की घोषित नीति के विरूद्ध कार्य करने पर

ii) पार्टी की नीति की खुलेआम सार्वजनिक रूप से आलोचना करना।

iii) संवैधानिक रूप से चुने हुए पार्टी के नेता के संबंध में प्राधिकरण को चुनौती देने के उद्देश्य से किसी सदस्य को समर्थन देने हेतु पार्टी के अंदर एक वर्ग तैयार करना।

---❖❖-❖-❖❖---